UPSR010011472026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश**,** श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द

(उच्चतर न्यायिक सेवा ID UP06538)

जमानत आवेदन संख्या- 438/2026

श्रीमती सबीना उम्र करीब 28 वर्ष पत्नी स्व0 रिजवान शेख पुत्री अब्बुल हसन, निवासिनी–तव्वापुरवा, दा0–नरपतपुर, थाना–नवीन मार्डन पुलिस थाना, जनपद–श्रावस्ती। .....आवेदिका/अभियुक्ता

बनाम

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

अ0सं0–45/2026
धारा–108, 351 (3) बी0 एन0 एस0
थाना–नवीन मार्डन पुलिस थाना
जनपद–श्रावस्ती

दिनांक 15.06.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदिका/अभियुक्ता **श्रीमती सबीना** की ओर से अपराध संख्या 45/2026, धारा 108, 351 (3) बी0 एन0 एस0, थाना नवीन मार्डन पुलिस थाना, जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है:– वादी मुकदमा मो0 हसन ने प्रभारी निरीक्षक थाना नवीन मार्डन जनपद श्रावस्ती को दिनांक 07.04.2026 को इस आशय की तहरीर दिया कि उसने अपने पुत्र रिजवान शेख की शादी सबीना पुत्री अब्दुल हसन निवासी गांधी चबुतरा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के साथ करीब 05 वर्ष पूर्व किया था। इधर पिछले कुछ महीनों से उसकी बहू सबीना का अवैध सम्बन्ध सुरेश गौतम पुत्र कलहू गौतम निवासी गांधी चबूतरा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के साथ चल रहा था जिसका उसका लड़का विरोध करता था और इससे काफी दुखी रहता था। उसकी बहू सबीना उसके मना करने के बावजूद भी अपने अवैध सम्बन्ध सुरेश गौतम से समाप्त नहीं कर रही थी जिससे दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उसकी बहू का मो0 नं0 70800XXXXX है जिससे इन सम्बन्धों के कारण उसका लड़का मोबाइल स्वयं चला रहा था। उसकी बहू सबीना,

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.06.15 16:22:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सुरेश गौतम के मोबाइल नं0 76968XXXXX पर बात करती रहती थी जिसका उसका लड़का रिजवान शेख विरोध करता था इसलिये उसका सिम अपने फोन में डालकर चला रहा था जिससे वह सुरेश गौतम से बात न कर सके। उसके लड़के रिजवान शेख का मोबाइल नं0 95650XXXX, 89535XXXX है। सुरेश गौतम रिजवान शेख को जान से मारने की धमकी दिया करता था। दिनांक 04.04.2026 को उसके लड़के रिजवान शेख ने सबीना से कहा कि वह सुरेश गौतम से रिश्ता खत्म करेगी कि नहीं इस पर सबीना ने कहा कि वह उससे रिश्ता नहीं तोड़ेगी और धमकी दिया कि उसको जान से मरवा देगी जिससे दुखी होकर उसके लड़के ने सुबह करीब 09 बजे कमरे में सिटकनी बन्द करके कमरे के पंखे से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर लिया। अतः निवेदन है कि उसकी बहू सबीना व सुरेश गौतम के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी।

उक्त तहरीर के आधार पर आवेदिका/अभियुक्ता एवं सह अभियुक्त सुरेश गौतम के विरूद्ध धारा 108, 351(3) बी0एन0एस0 2023 में पंजीकृत हुई।

3– आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका/अभियुक्ता निर्दोष है। सही तथ्य यह है कि आवेदिका/अभियुक्ता एक सीधी साधी महिला है और उसके विरूद्ध साजिश के तहत महज अपने पति की सम्पत्ति से वंचित करने के लिए और घर से बेदखल करने के लिए झूठे कथनों व तथ्यों के आधार पर फंसा दी गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित कोई भी घटना घटित नहीं किया है। मुकदमा वादी ने काफी सोच समझकर व सम्पत्ति के लालच में काफी विलम्ब से लगभग 3 दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया है जिससे स्पष्ट होता है कि मुकदमा वादी ने आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध साजिश किया है। आवेदिका/अभियुक्ता व उसके पति के मध्य काफी सौहार्दपूर्ण संबंध थे। कभी कोई वाद विवाद नहीं था इसलिए उसके विरूद्ध कोई भी अपराध धाराओं का आयात नहीं होता है। आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदिका/अभियुक्ता व सह अभियुक्त सुरेश गौतम के मध्य हुई बातचीत को विवेचक द्वारा काल डिटेल के रूप में दाखिल किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता व सह अभियुक्त के प्रताड़ना से तंग आकर वादी मुकदमा के पुत्र द्वारा आत्महत्या की गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना।

6– अपराध सं0 45/2026, थाना नवीन मार्डन पुलिस थाना से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आवेदिका/अभियुक्ता एवं सह अभियुक्त सुरेश गौतम के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदिका/अभियुक्ता व सह अभियुक्त सुरेश गौतम के मध्य हुई काल डिटेल को विवेचक द्वारा केस डायरी के साथ संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन/वादी मुकदमा की ओर से आवेदिका/अभियुक्ता एवं सह अभियुक्त सुरेश गौतम के एक साथ के कई फोटोग्राफ भी दाखिल किये गये हैं। शव विच्छेदन आख्या में मृत्यु का कारण Asphyxia due to Antemortem Hanging बताया गया है। अतः अपराध की गम्भीरता, अपराध हेतु अधिकतम दण्ड, अपराध में आवेदिका/अभियुक्ता की भूमिका तथा साक्षियों के केस डायरी में अंकित बयानों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय की राय में आवेदिका/अभियुक्ता श्रीमती सबीना का जमानत आवेदन इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता **श्रीमती सबीना** द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन अपराध संख्या 45/2026, अन्तर्गत धारा 108, 351(3) बी0एन0एस0, थाना नवीन मार्डन पुलिस थाना, जनपद श्रावस्ती के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

आवेदिका/अभियुक्ता को इस आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती
दि0 15.06.2026